**सख्या-104 /2016/ 2900 /33-3-2016-100(8)/2016**

**प्रेषक,**

**जोगेन्द्र प्रसाद**

**उप सचिव**

**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**

**पंचायतीराज**

**उ0प्र0 लखनऊ।**

**पंचायती राज अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांकः 19 दिसम्बर, 2016**

**विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515001010400 के मानक मद-01 वेतन भत्ता मद से अनुदान संख्या-14 में आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक- 2515001010400 के मानक मद-03- मंहगाई भत्ता 06-अन्य भत्ता तथा 08- कार्यालय व्यय आदि की मदों के भुगतान हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में।**

**महोदय,**

**उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1/शा/2016-1/194/2016 दिनांक 22.11.2016 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016 /बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 एवं वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2016/बी-2-1275/दस-2016-244/ 2016 दिनांक 22.08.2016 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या- 48/2016/2348/33-3-2016-100( 8)/2016 दिनांक 12.09.2016 को आंशिक रूप से संशोधित करने के दृष्टि से आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-14 लेखाशीर्षक आयोजनागत लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-101 पंचायतीराज-04- मण्डल पंचायत प्रशासन के वेतन आदि में आयोजनागत पक्ष निदेशक,पंचायतीराज के लिए प्राविधानित धनराशि रू. 30.95 लाख के सापेक्ष प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार आर.ई. संख्या- 246 दिनांक- 15.12.2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि रू. 17.49 लाख ( रू. सत्तरह लाख उन्चास हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न सूची में तथा संलग्न बी0एम0-9 में अंकित किया गया है को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

**(1) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

**(2) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।**

**(3) विभागाध्यक्ष अपने से संबंधित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।**

http://shasnadeshup.nic.in

(4) वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

(5) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित कियसा जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तोकी पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्स आफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(8) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक-2515 के अधीन प्रावधानित सुसंगत इकाईयों (संलग्नक के अनुसार) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.03.2016 में प्रति निधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

<u>संलग्नकः-यथोक्त।</u>

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

संख्या व दिनांकः- तदैव।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2/आडिट-2, इलाहाबाद।

2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0) उ0प्र0।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय व्ययक) अनु0-1/राज्य योजना आयोग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

http://Shasnadeshup.nic.in

शासनादेश संख्या- 104/2016/2900 /33-3-2016-100(8)/2016 दिनांक- 19.12.2016 का संलग्नक

**लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

**101-पंचायतीराज**

**04-मण्डल प्रशासन**

आयोजनागत ( अनुदान संख्या-14) धनराशि हजार रू0 में

| मानक मद | वर्ष 2016-17 में अनुपूरक मांगों के माध्यम से आय-व्यय अनुमान | निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 03- मंहगाई भत्ता | 1544 | 1544 |
| 06- अन्य भत्ता | 105 | 105 |
| 08- कार्यालय व्यय | 100 | 100 |
| योग | 1749 | 1749 |

( रू. सत्रह लाख उन्चास हजार मात्र )

http://Shasnadeshup.nic.in